



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022026-270440  
CG-DL-E-24022026-270440

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 929]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 24, 2026/फाल्गुन 5, 1947

No. 929]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 24, 2026/PHALGUNA 5, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2026

**का.आ. 973(अ).**— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5235 तारीख 17/11/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के बड़वानी जिले में NH347-B के कि.मी. 99.38 से कि.मी.107.762 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरणे / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 29/11/2025 को "फ्री प्रेस", "पत्रिका" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

### अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के बड़वानी जिले में NH347-B के कि.मी. 99.38 से कि.मी.107.762 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: बड़वानी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: राजपुर					
गांव का नाम: निहाली (जुलवानिया)					
1	103/1	निजी	कृषि/सिंचित	0.0015	बद्रीलाल पिता पेमा
2	103/2	निजी	कृषि/सिंचित	0.0018	बद्रीलाल पिता पेमा
3	103/4	निजी	कृषि/असिंचित	0.0011	गल्या पिता दरियाव, सुशिलाबाई बेवा पुन्या
4	104/2	निजी	कृषि/सिंचित	0.0034	देवेन्द्र पिता छगन
5	104/6	निजी	कृषि/सिंचित	0.0038	बद्रीलाल पिता पेमा
6	105/3	निजी	कृषि/सिंचित	0.0025	मिश्रीलाल पिता मंगल्या
7	81/2	निजी	व्यावसायिक	0.0019	तस्दीक हुसेन मलीक पिता तालीबहुसैन
8	93/2	निजी	व्यावसायिक	0.1224	नर्मदा बायो फ्यूल प्रायवेट लिमिटेड तर्फे संचालक मनजीतसिंह पिता देवेन्द्रसिंह भाटीया
9	95/2	निजी	व्यावसायिक	0.03	नर्मदा बायो फ्यूल प्रायवेट लिमिटेड तर्फे संचालक मनजीतसिंह पिता देवेन्द्रसिंह भाटीया
10	95/3	निजी	व्यावसायिक	0.0133	नर्मदा बायो फ्यूल प्रायवेट लिमिटेड तर्फे संचालक मनजीतसिंह पिता देवेन्द्रसिंह भाटीया

11	95/4	निजी	व्यावसायिक	0.0147	नर्मदा बायो फ्यूल प्रायवेट लिमिटेड तर्फे संचालक मनजीतसिंह पिता देवेन्द्रसिंह भाटीया
12	96/1	सरकारी	नाला	0.0452	शासकीय
13	96/3	सरकारी	नाला	0.0069	मध्यप्रदेश शासन
<b>गांव का नाम: अगलगांव</b>					
14	27/3	निजी	कृषि/असिंचित	0.0021	नेहरू पिता गंगाराम
15	4/1	निजी	कृषि/सिंचित	0.0011	अनारसिंह पिता थावरिया
16	7/1	निजी	कृषि/सिंचित	0.001	अनारसिंह पिता थावरिया
<b>गांव का नाम: कादवी</b>					
17	77	निजी	कृषि/सिंचित	0.4024	बान्या पिता लाल सिंह, भरत पिता हरचंद, दिलीप पिता हरचंद, अशोक पिता हरचंद, आपसिंह पिता हरचंद, कैलाश पिता हरचंद, सोना बाई बेवा हरचंद, तनु बाई बेवा हरचंद, भाव सिंह पिता सोरंग्या, राम पिता सोरंग्या, जामा पिता सोरंग्या, मुन्नालाल पिता बंसीलाल, अमर सिंह पिता बंसीलाल, गुमान पिता रूप सिंह, भूरी बाई बेवा बंसीलाल, राय सिंह पिता रूप सिंह, भूरी बाई बेवा रूप सिंह
18	79	सरकारी	सड़क	0.0315	शासकीय
19	81	सरकारी	चरनोई	0.0148	शासकीय
20	88/3/2	निजी	कृषि/असिंचित	0.055	मलूबाई बेवा गुलाबसिंह
21	88/6 , 91/3	निजी	कृषि/सिंचित	0.0766	शंकर पिता भोल्या
22	99	सरकारी	रास्ता	0.0091	शासकीय
<b>गांव का नाम: रुई</b>					
23	214/10	निजी	कृषि/असिंचित	0.2442	भगवान पिता नारायण
24	214/15	निजी	कृषि/सिंचित	0.1923	कमलकिशोर पिता रूघनाथ
25	214/44	निजी	कृषि/सिंचित	0.014	अमरसींग पिता छगन
<b>गांव का नाम: बोबलवाड़ी</b>					
26	16	सरकारी	सड़क	0.018	शासकीय
27	24/2	सरकारी	पहाड़	0.0635	शासकीय
28	90	सरकारी	नाला	0.0448	शासकीय
<b>Total</b>				<b>1.4189</b>	

[फा. सं. NH-347B/Khargone\_Julwaniya/3(a)/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th February, 2026

**S.O. 973(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **5235 Dated:17/11/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH347-B in the stretch of land from Km. 99.38 to Km. 107.762 in the district of BARWANI in the state of MADHYA PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “Free Press” and “Patrika” dated 29/11/2025 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH347-B in the stretch of land from Km. 99.38 to Km. 107.762 in the district of BARWANI in the state of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH			District: BARWANI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Rajpur</b>					
<b>Village: Nihali (Julwaniya)</b>					
1	103/1	Private	Agriculture/ Irrigated	0.0015	Badrilal Pita Pema
2	103/2	Private	Agriculture/ Irrigated	0.0018	Badrilal Pita Pema
3	103/4	Private	Agriculture/ Unirrigated	0.0011	Galya Pita Dariyao, Sushila Bai Bewa Punya
4	104/2	Private	Agriculture/ Irrigated	0.0034	Devendra Pita Chhagan
5	104/6	Private	Agriculture/ Irrigated	0.0038	Badrilal Pita Pema
6	105/3	Private	Agriculture/ Irrigated	0.0025	Mishrilal Pita Mangaliya
7	81/2	Private	Commercial	0.0019	Tasdeek Husain Malik Pita Talib Husain
8	93/2	Private	Commercial	0.1224	Narmada Bayo Fuel Priavte Limited Sanchalak Manjeet Singh Pita Devendra Singh Bhatiya
9	95/2	Private	Commercial	0.03	Narmada Bayo Fuel Priavte Limited Sanchalak Manjeet Singh Pita Devendra Singh Bhatiya
10	95/3	Private	Commercial	0.0133	Narmada Bayo Fuel Priavte Limited Sanchalak Manjeet Singh Pita Devendra Singh Bhatiya

11	95/4	Private	Commercial	0.0147	Narmada Bayo Fuel Priavte Limited Sanchalak Manjeet Singh Pita Devendra Singh Bhatiya
12	96/1	Government	Nala	0.0452	Government
13	96/3	Government	Nala	0.0069	M.P. Government
<b>Village: Agalgaon</b>					
14	27/3	Private	Agriculture/ Unirrigated	0.0021	Nehru Pita Gangaram
15	4/1	Private	Agriculture/ Irrigated	0.0011	Anarsingh Pita Thawariya
16	7/1	Private	Agriculture/ Irrigated	0.001	Anarsingh Pita Thawariya
<b>Village: Kadwi</b>					
17	77	Private	Agriculture/ Irrigated	0.4024	Banya Pita Lal Singh, Bharat Pita Harchand, Dilip Pita Harchand, Ashok Pita Harchand, Aapsingh Pita Harchand, Kailash Pita Harchand, Sona Bai Bewa Harchand, Tanu Bai Bewa Harchand, Bhav Singh Pita Sorangya, Rama Pita Sorangya, Jama Pita Sorangya, Munnalal Pita Bansilal, Amar Singh Pita Bansilal, Guman Pita Rup Singh, Bhuri Bai Bewa Bansilal, Rai Singh Pita Rup Singh, Bhuri Bai Bewa Rup Singh
18	79	Government	Sadak	0.0315	Government
19	81	Government	Charnoi	0.0148	Government
20	88/3/2	Private	Agriculture/ Unirrigated	0.055	Malubai Bewa Gulab Singh
21	88/6 , 91/3	Private	Agriculture/ Irrigated	0.0766	Shankar Pita Bholya
22	99	Government	Rasta	0.0091	Government
<b>Village: Rui</b>					
23	214/10	Private	Agriculture/ Unirrigated	0.2442	Bhagwan Pita Narayan
24	214/15	Private	Agriculture/ Irrigated	0.1923	Kamalkishore Pita Rughnath
25	214/44	Private	Agriculture/ Irrigated	0.014	Amar Sing Pita Chhagan
<b>Village: Bobalwadi</b>					
26	16	Government	Sadak	0.018	Government
27	24/2	Government	Pahad	0.0635	Government
28	90	Government	Nala	0.0448	Government
<b>Total</b>				<b>1.4189</b>	

[F. No. NH-347B/Khargone\_Julwaniya/3(a)/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director